खरीफ एवं रब्बी विपणन वर्ष 2011–12 में अधिप्राप्ति की उपलब्धियाँ

खरीफ एवं रब्बी विपणन हेतु वर्ष 2011–12 से बिहार सरकार ने अधिप्राप्ति कार्य के लिए बृहत्, सुचारू एवं त्रुटिरहित व्यवस्था लागू की है जिसकी सराहना हर स्तर पर की गई है ।

उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर पैक्स को किसानों से सीधे धान/गेहूँ क्रय के लिए अधिकृत किया गया जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग 7000 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां (पैक्स) एवं राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड स्तर पर स्थापित 572 क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान/गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य किया गया है।

उचित पहचान पत्र/भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/भूमि लगान रशीद/किसान क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत करने पर पूरे राज्य में किसानों को क्रय केन्द्र पर ही केवल ''खाताधारी को भुगतेय'' चेक के माध्यम से तत्काल भुगतान किया गया है । बिहार राज्य क्रय केन्द्र पर ही केवल ''खाताधारी को भुगतेय चेक'' के माध्यम से किसानो को भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य बना है ।

अधिप्राप्ति कार्य के सुचारू संचालन हेतु जिला पदाधिकारी को सीधे जिम्मेवार बनाया गया एवं प्रत्येक जिला की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से की गई। इसके अलावा प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह Video conferencing द्वारा सभी जिलों के इस कार्य से संबद्ध पदाधिकारियों से की गई ।

उपर्युक्त व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत लगभग 23 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान एवं लगभग 7 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की रेकार्ड अधिप्राप्ति की जा चुकी है जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है ।